न्यायालय : न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मालपुरा (टोंक)

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार गिरी
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या—02/2016

1. बनवारी पुत्र लादूराम, उम्र 21 साल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम शेरगढ़, तहसील मालपुरा,जिला टोंक(राज0)

——आवेदक/.प्रार्थी.

विरूद्ध

1. राजू चौधरी पुत्र बद्रीनारायण, जाति जाट,उम्र 25 साल, निवासी खेजड़ों का बास, हरसुलिया, थाना फागी, जिला जयपुर (राज0)

——वाहन चालक व मालिक—

वाहन संख्या आर0जे0 28 टी.ए. 0289

2. दी ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़, 5 तीर्थ नगर फस्ट फ्लोवर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर (राज0)

——इन्श्योरेन्स कम्पनी——

......अप्रार्थीगण......

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—166 सपठित धारा 140, मोटर वाहन अधिनियम</u>

उपस्थितः
1. श्री अब्दुल रज्जाक, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से,
2. अप्रार्थी संख्या—1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं,
3. श्री सुरेन्द्र मोहन जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या —2 की ओर से,

।। नि र्ण य ।।

<u>दिनांकः 29.06.2019</u>

<u>:— क्लेम याचिका अस्वीकार :—</u>

1. यह क्लेम पिटीशन प्रार्थी की ओर से धारा—166 सपठित धारा— 140 मोटर वाहन अधिनियम के अधीन दिनांक 4.01.2016 को इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. इस क्लेम याचिका के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28—3—2015 को आवेदक भोपलाव जी से मोटरसाईकिल पर बैठकर मालपुरा आ रहे था, ज्योंही मोटरसाईकिल मैन रोड़ पर ठाकुर साहब के नाड़े पास आई तो मालुपरा की तरफ से टेम्पो ट्रेक्स नम्बर आर.जे. 28 टी.ए. 0289 का चालक अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाया हुआ लाया व प्रार्थी की

मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। जिससे प्रार्थी मोटरसाईकिल से नीचे गिर गया तथा प्रार्थी को 108 एम्बुलेंस से मालपुरा स्थित अस्पताल लाया गया।जहां से प्रार्थी का प्राथमिक उपचार कर उसे जयपुर रेफर कर दिया। उसके पेट व शरीर पर गंभीर चोटें आई तथा प्रार्थी की जांघ की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या एक टेम्पो ट्रेक्स नम्बर आर.जे. 28 टी.ए. 0289 के चालक की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट ईलाज में व्यस्त होने क कारण पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह, जिला टोंक में एफ.आई.आर. संख्या 36/2015 अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 28–3–2015 को देरी से दर्ज करवाई व बाद अनुसंधान के पश्चात् दुर्घटना अप्रार्थी संख्या एक की लापरवाही से होना प्रमाणित है। तथा पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्व अन्तगत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त दुर्घटना प्रतिपक्षी नं. 1 ने टेम्पो ट्रेक्स नम्बर आर.जे. 28 टी.ए. 0289 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुये टक्कर मारने के कारण घटित हुई है। यह वाहन टेम्पो ट्रेक्स नम्बर आर.जे. 28 टी.ए. 0289 दुर्घटना के समय प्रतिपक्षी नं. 2 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था। प्रतिपक्षी नं. 2 की बीमा अवधि में यह दुर्घटना कारित हुई है। अतः दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिए दोनों प्रतिपक्षीगण संयुक्तत व पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी है।

4. आवेदक 21 वर्षीय हष्ट पुष्ट शरीर का था, वह व्यवसाय व कृषि, पशुपालन का कार्य करके लगभग 15,000 रूपये प्रतिमाह कमाता था। दुर्घटना में आई चोटों के कारण स्थायी अयोग्यता उत्पन्न होकर कार्य क्षमता में 50 प्रतिशत कमी हो गई है। प्राथी ने क्लेम याचिका के पैरा संख्या–24 में वर्णित अनुसार कुल 68,25,000/–रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

5. अप्रार्थी संख्या–एक बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्व दिनांक 26–3–2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. अप्रार्थी संख्या–2 ने क्लेम प्रार्थना में अंकित तथ्यों को गलत होना बताते हुये विशेष विवरण, आपत्तियां व आक्षेप में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना दिनांक 28–3–2015 की बताई गई है। जिसकी एफआईआर दिनांक 1–4–2015 को थाना लाम्बाहरिसिंह में दर्ज करवाई गई है। इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सर्वथा झूठा प्रमाणित है। कथित दुर्घटना के चार दिन बाद एफआईआर देरी से दर्ज करवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि

वाहन नम्बर आर0जे0 28 टी0ए0 0289 को झूठे रूप से दुर्घटना में लिप्त बताकर फर्द जब्ती बनाई गई है और उक्त वाहन को गलत रूप से बीमित वाहन होने के कारण क्लेम लेने की बदनियति से आवेदक व पुलिस ने आपस में दुरभि संधी कर उक्त वाहन को उक्त दुर्घटना में लिप्त बताया है। जकि उक्त वाहन से काई दुर्घटना ही कारित नहीं हुई है। बीमित वाहन को वैध एवं प्रभावी लाइसेंसधारी ड्राईवर ही चला सकता है। क्लेम आवेदन के अनुसार वाहन चालक के पास, वाहन मालिक की जानकारी में होने के बावजुद वरवक्त कथित दुर्घटना वाहन चालक के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था, को वाहन चलाने को दिया गया। आवेदक स्वयं अपनी मोटरसाईकिल से गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्रश्नगत वाहन के मालिक के पास वरवक्त दुर्घटना के दिन वाहन का परमिट व फिटनेस नहीं था। अन्त में निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी उत्तरदाता के विरूद्व यह आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. आया प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे. 28 टी0ए0 0289 के चालक विपक्षी नं. 1 के द्वारा दिनांक 28–3–2015 को उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप बनवारी स्थायी अपंगता को प्राप्त हुआ/गंभीर व साधारण उपहतियां कारित हुई?

....प्रार्थी.

2. आया उक्त वाहन चालक विपक्षी संख्या एक घटना के समय वाहन स्वामी विपक्षी संख्या एक के नियोजन में होकर व विपक्षी संख्या दो की बीमित अवधि में उक्त वाहन को विपक्षी संख्या एक के हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था?

...प्रार्थीगण..

3. आया विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी अपने लिखित कथन के प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन को दृष्टिगत रखते हुए अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, यदि नहीं तो इसका क्या प्रभाव है?

..अप्रार्थी..

4. आया प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि प्राप्त कर सकते हैं, हां तो कौन–कौन प्रार्थी

कितनी–कितनी राशि किस–किस विपक्षी एवं किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. अनुतोष ?

8. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.ड.1 बनवारी व ए0ड02 रामलाल के बयान करवाए गए तथा प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 40 तक के दस्तावेजात को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में एन0ए0ड01 योगेन्द्र वर्मा के बयान करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ए–1 लगायत प्रदर्श ए–4 के दस्तावेजात को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया।

9. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का अवलम्ब लिया गयाः–

1. 2015(1)आर.ए.आर. पेज 72(राज0) श्रीमती हेमलता व अन्य बनाम झमनलाल व अन्य,
2. 2015(1)एसीटीसी(राज0) पेज 477 श्रीचंद मीणा बनाम रमेशचंद व अन्य,
3. 2010 आर.ए.आर. पेज 321(राज0) हरिसिंह बनाम श्रीमती फूलवति व अन्य,
4. आर.एल.डब्ल्यू(4)एससी नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम चेला भरथमा व अन्य,
5. 2014 आर.ए.आर. पेज 116(राज0) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम श्रीमती मुमताज व अन्य,

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में किया गया।प्रत्येक तनकी पर मेरा विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

11. **<u>तनकी संख्या–1</u>**ः–

इस तनकी के माध्यम से यह तय किया जाना है कि क्या प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे. 28 टी0ए0 0289 के चालक विपक्षी नं. 1 के द्वारा दिनांक 28–3–2015 को उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप बनवारी स्थायी अपंगता को प्राप्त हुआ/गंभीर व साधारण उपहतियां कारित हुई? इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है।

12. विद्वान अधिवक्ता प्राथीगण का यह तर्क रहा है कि उन्होंने इस दुर्घटना दिनांक 28–3–2015 के संबंध में मौखिक गवाह ए0ड01 बनवारी स्वयं मजरूब तथा दूसरा गवाह घटना का चश्मदीद गवाह रामलाल ए0ड02 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए है तथा इस तनकी को बखूबी साबित किया गया है।

13. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो का यह कहना रहा है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थनापत्र में अंकित दुर्घटना के जो तथ्य अंकित किये गये है तथा उनके संबंध में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उनके आधार पर यह दुर्घटना आकस्मिक रूप से घटी है। तथा दुर्घटना दिनांक 28–3–2015 में अप्रार्थी संख्या एक राजू चौधरी के द्वारा वाहन संख्या आर0जे0 28 टी0ए0 0289 टेम्पो ट्रैक्स को उपेक्षा एवं उतावलेपन से नहीं चलाया गया बल्कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उक्त वाहन के अचानक टायर फटने के कारण यह दुर्घटना घटी है। तथा इस तथ्य को स्वयं प्रार्थी बनवारी तथा उसके साथ मोटरसाईकिल के चालक रामलाल ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। इसलिए अप्रार्थीसंख्या एक राजू चौधरी के द्वारा दुर्घटना में संलिप्त वाहन संख्या आर0जे0 28 टी0ए0 0289 को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाकर दुर्घटना कारित करना साबित नहीं हुआ है।

14. मेरे द्वारा इस तनकी के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के मामलों में अधिकरण को दावा मामलों का निस्तारण करने के लिए जांच करनी होती है, जो प्रबलता की सम्भाव्यता पर आधारित हो सकती है न कि आपराधिक विचारण के समान दुर्घटना दावे के मामलों में साक्ष्य के कठोर नियम प्रयोज्य नहीं है तथा ऐसे विचारण में प्रमाण के मापदण्ड आपराधिक विचारण के भांति नहीं है।किसी विवाद्यक का निष्कर्ष सम्भाव्यता की प्रबलता पर उपधारित किया जाता है।

15. इस तनकी के समर्थन में प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी ए0ड01 बनवारी परीक्षित हुआ है। वह उसके बयानों में कहता है कि वह दिनांक 28–3–2015 को भोपालाव जी से मोटरसाईकिल पर बैठ कर मालपुरा की तरफ आ रहा था। वह एक साईड में खड़ा था, सामने से एक टेम्पो ट्रेक्स आई,जिसने उसके खडे के टक्कर मार दी, जिस टेम्पो ट्रेक्स ने उसके टक्कर मारी,उसके नम्बर आर0जे0 28 टीए 0289 थे। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह कहता है कि मोटरसाईकिल रामलाल चला रहा था। वे मोटरसाईकिल रोक कर सड़क के

साईड़ में खड़े थे। टेम्पो ट्रेक्स मालपुरा की तरफ से आ रही थी। यह दुर्घटना सड़क के बीच में नहीं हुई। बल्कि वह सड़क के साईड में खड़ा था। चलती टेम्पो ट्रेक्स का टायर फूट गया था। वह रामलाल के पीछे खड़ा था। उसे पता नहीं है कि रामलाल के भी लगी थी या नहीं लगी थी। उसने गाडी के नम्बर नहीं देखे थे।

16. इसी प्रकार के बयान इस प्रकरण के मजरूब बनवारी के साथ मोटरसाईकिल चालक रामलाल ए0ड02 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने दिये है। वह कहता है कि उसने टेम्पो ट्रेक्स के नम्बर देख लिये थे और पढ़ लिये थे। पुलिस वाले मौके पर आ गये थे। यह सही है कि उसके पास मोटरसाईकिल चलाने का लाइंस नहीं है। यह सही है कि टेम्पो ट्रेक्स का आगे का टायर चलती हुई का फूट गया था। जो आगे जाकर खड़ी हो गई थी।

17. इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि स्वयं मजरूब बनवारी तथा मोटरसाईकिल चालक रामलाल दुर्घटना करने वाले वाहन टेम्पो ट्रेक्स का टायर फटने के कारण दुर्घटना कारित होना कहते है। न्यायिक दृष्टांत श्रीमती हेमलता व अन्य बनाम झमनलाल व अन्य(उपरोक्त उद्यत) मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अन्तर्गत जहां दुर्घटना मशीनीरी त्रुटि के कारण घटित हुई, मोटरसाईकिल की लाईट अक्रियाशील हो गई और ऊंट गाडी से टक्करा गई, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना किसी तृतीय पक्ष की वजह से घटित नहीं हुई और क्लेम अस्वीकार कर दिया। श्रीचंद मीना बनाम रमेशचंद व अन्य (उपरोक्त उद्यत) मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मामले का अभिलेख यह दर्शित कर रहा है कि सड़क पर तेजी से नील गाय आने के कारण दुर्घटना घटित हुई,अचानक ब्रेक लगाने के कारण मोटरसाईकिल असन्तुलित हुई। अपीलार्थी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की लापरवाही साबित करने में सफल रहा, निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. हस्तगत प्रकरण में भी स्वयं मजरूब व आवेदक बनवारी तथा उसके साथ मोटरसाईकिल चालक रामलाल दोनों ही एक ही वाहन पर सवार थे, इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। टेम्पो ट्रेक्स आर.जे. 28 टीए 0289 के चलती हुई के टायर अचानक फूट गया था, जिसके कारण यह दुर्घटना कारित हुई। ऐसी स्थिति में यह तथ्य कि टेम्पो ट्रेक्स आर.जे. 28 टीए 0289 को अप्रार्थी संख्या एक राजू चौधरी ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से

चलाकर दुर्घटना कारित की साबित नहीं हुआ है। तथा इस दुर्घटना के लिए अप्रार्थी संख्या एक राजू चौधरी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह यह तनकी संख्या एक प्रार्थी के विरूद्व तय की जाती है।

19. **<u>तनकी संख्या–02</u>**:–

इस तनकी के माध्यम से यह साबित किया जाना था कि क्या उक्त वाहन चालक विपक्षी संख्या एक घटना के समय वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–1 के नियोजन में होकर व विपक्षी संख्या–1 के हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था, तथा उक्त वाहन बरवक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या दो बीमा कम्पनी के द्वारा बीमित था?इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। तनकी संख्या एक के माध्यम से यह तय किया जा चुका है कि घटना के समय राजू चौधरी वाहन संख्या टेम्पो ट्रेक्स आर.जे. 28 टीए 0289 का चालक था,जो घटना के समय वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 1 के लाभार्थ व हितार्थ कार्य कर रहा था। उक्त तथ्य प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया गया है। तथा यह भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि वरवक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या दो बीमा कम्पनी के द्वारा बीमित था। अतः यह तनकी प्रार्थी के पक्ष में तय की जाती है।

20. **<u>विवाद्यक संख्या–3</u>**

इस तनकी के माध्यम से यह तय किया जाना है कि क्या विपक्षी संख्या–2 बीमा कम्पनी द्वारा उसके लिखित कथन के प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष कथन को दृष्टिगत रखते हुये अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है। यदि नहीं हो इसका क्या प्रभाव है? इसे साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या दो पर है।

21. जहां तक इस तनकी का प्रश्न है। तनकी संख्या एक के माध्यम से यह तय किया जा चुका है कि दुर्घटना दिनांक 28–3–2015 के लिए अप्रार्थी संख्या एक राजू चौधरी उत्तरदायी नहीं है। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो बीमा कम्पनी का प्रश्न है। इस संबंध में कम्पनी की ओर से गवाह एन0ए0ड01 योगेन्द्र वर्मा परीक्षित हुआ है। जो उसके बयानों में यह कहता है कि इस प्रकरण में बीमा कम्पनी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत हूं। उनकी बीमा कम्पनी ने वाहन संख्या आर.जे. 28 टीए 0289 का बीमा दिनांक 4–2–2015 से दिनांक 3–2–2016 तक की बीमा अवधि के लिए किया था। उक्त वाहन का संचालिन वाहन मालिक ने बीमा शर्तो के अनुरूप किया जाना था। बीमा पॉलिसी

प्रदर्श ए–1 है। बीमा कम्पनी की वाहन का बीमा करते समय यह आवश्यक शर्त होती है कि वाहन का परमिट होना आवश्यक है। इस प्रकरण में वरवक्त दुर्घटना दिनांक 28–3–2015 को वाहन नम्बर आर.जे. 28 टीए 0289 के मालिक राजू चौधरी पुत्र बद्रीनारायण चौधरी निवासी खेजड़ों का बास हरसूलिया, तहसील फागी के पास उक्त वाहन का कोई वैध परमिट नहीं था। बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार वाहन मालिक के पास उक्त वाहन को उस रूट पर चलाने का परमिट होना आवश्यक है। इस प्रकरण में वाहन मालिक के पास वरवक्त दुर्घटना के दिन कोई परमिट ही नहीं था। जो बीमा शर्तो का उल्लंघन है। वाहन का परमिट पेश करने के लिए बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा वाहन मालिक राजू चौधरी को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया था जो प्रदर्श ए–2 है। जो उसे प्राप्त हो गया। पोस्ट ऑफिस की रसीद प्रदर्श ए–3 है। नोटिस प्राप्ति की सूचना प्रदर्श ए–4 है। नोटिस मिलने के बावजूद वाहन मालिक ने उक्त वाहन का परमिट पेश नहीं किया है। अतः बीमा कम्पनी आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह कहता है कि यह बात सही है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी। वह दुर्घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। यह बात सही है कि दुर्घटना के समय उक्त वाहन उनकी बीमा कम्पनी में बीमित था। उनके कम्पनी के अधिवक्ता ने नोटिस दिया था। यह बात सही है कि उक्त वाहन टैक्सी के रूप में बीमित है। टेक्सी गाडी बिना परमिट के रोड़ पर नहीं चल सकती है।

22. इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत हरिसिंह बनाम श्रीमती फूलवति व अन्य(उपरोक्त उद्यत) मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 149 के अन्तर्गत जहां जीप में यात्री सवारी कर रहे हो, जीप के पास यात्री ले जाने का परमिट नहीं था, मृतक जीप में भाडा देय यात्री था। बीमा कम्पनी को उत्तरदायित्व से सही उन्मोचित किया। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम चेला भरथमा व अन्य(उपरोक्त उद्यत) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मोटर यान अधिनियम,1988 धारा 66,149(2) सपठित धारा 66, जहां तक किसी वाहन के परमिट के बिना सड़क पर चलाने का प्रश्न है। जहां ऐसे वाहन बिना परमिट के रोड़ पर चलाया जा रहा हो तथा उससे दुर्घटना घटित होने पर बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं है। नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम श्रीमती मुमताज व अन्य(उपरोक्त उद्यत) मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त

किया गया है कि परमिट के अभाव में अधिकरण ने बीमित को प्रतिकर अदा करने का उसे मालिक से वसूली की उदारता के साथ निर्देश दिया। न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम सरदार बीवी व अन्य(उपरोक्त उद्यत) मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि जहां पॉलिसी के शर्त के भंग के आधार पर प्रतिकर राशि भुगतान करने से बीमा कम्पनी की अभिमुक्ति यद्यपि बीमा कम्पनी को प्रतिकर राशि भुगतान करने और उसे लिप्त वाहन के स्वामी वसूल करने का निर्देश दिया। निर्देश के विरूद्व बीमाकर्ता द्वारा अपील की गई,जिसमें भुगतान और वसूल करने का निर्देश बीमा कम्पनी को दिया जा सकता है। जहां चालक एक वैध चालन अनुज्ञप्ति रखना नहीं पाया जाता है एवं वाहन बिना परमिट के चलाया जाना पाया जाता है। जहां तक हस्तगत माले का प्रश्न है। इस मामले में प्रार्थी बनवारी वाहन संख्या आर0जे0 28 टीए 0289 में बैठकर यात्रा नहीं कर रहा था,बल्कि एक मोटरसाईकिल जिसे रामलाल के द्वारा चलाया जा रहा था के साथ दुर्घटना स्थल पर सड़क के एक ओर खड़ा था तथा अचानक टक्कर लगने के कारण दुर्घटना कारित हुई है। जिसके लिए बीमा कम्पनी को उत्तरदायी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में घटी अचानक घ टना है, साथ ही उक्त दुर्घटना में वाहन चालक के पास रोड़ का परमिट नहीं होने के कारण बीमा कम्पनी को दुर्घटना दिनांक 28–3–2018 को घटी दुर्घटना के लिए प्रतिकर अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इसलिए उपरोक्त विवेचन से यह तनकी अप्रार्थी संख्या दो बीमा कम्पनी के पक्ष में तय की जाती है।

23. **विवाद्यक संख्या–4**

इस विवाद्यक के माध्यम से यह तय किया जाना है कि प्रार्थीगण अपने–अपने प्रार्थना पत्र में अंकित राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि प्राप्त कर सकते हैं, हां तो कौन–कौन प्रार्थी कितनी–कितनी राशि किस–किस विपक्षी एवं किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

24. विवाद्यक संख्या 1 व 3 प्रार्थी/आवेदक के विरूद्व तय किए गए है। अतः प्रार्थी/आवेदक कोई क्लेम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

25. **<u>अनुतोष विवाद्यक संख्या–5</u>**

विवाद्यक संख्या 1,3, 4 प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध तय हुये हैं। जिससे प्रार्थी/आवेदक कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थी अंतर्गत धारा 166 सपठित धारा 140 एम.ए.सी.टी.एक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

:: <u>आदेश</u> ::

26. अतः क्लेम याचिका प्रार्थी/आवेदकगण विरूद्ध अप्रार्थीगण एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या 2/2016 अंतर्गत धारा 166 सपठित धारा 140 एम.ए.सी.टी. एक्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

(विनोद कुमार गिरी)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
मालपुरा जिला–टोंक

27. निर्णय आज दिनांक 29.06.2019 को विवृत न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(विनोद कुमार गिरी)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
मालपुरा जिला–टोंक